FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

अंजू देवी बनाम नीरज सिंह वगै

क्रमांक ..... दावा ..... नं. 100/2009 सन्

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	26-04-23 पत्रावली पेश हुई। वकलाय [illegible] 10-07-23 को पेश [illegible]	
10.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूक कर बार–बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। 10/07/23 ([illegible]) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.12 11:27:56 IST
Reason: SelfAttested